कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वितरण)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

पत्रांक ---- / मु0अ0गा0क्षे0 / वा0 / प्रशा0अनु0 / (/10) दिनांक ----

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती परिषदीय पत्रांक 3022 सीयू–2 / बहुखण्डीय इमारत दि0 7.10.94, परिषदादेश सं0 548–कार्य / चौदह(बी) / सचिव / 8–3 केवी / 95 दि0 24.4.98, निगमादेश सं0 757–कार्य / चौदह / पाकालि–2001 / 3 केवी–95 दि0 28.6.01 एवं निगम कार्यालय 21 एच0सी0 / टैरिफ / मल्टी स्टोरी दि0 26.6.2001, निगमादेश सं0 1308 / कार्य / चौदह / पाकालि / 2001–03 केवी / 95 दि0 18.10.1, सं0 385 / कार्य / चौदह / पाकालि / 2002–03 केवी / 95 दि0 13.3.02. एवं प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 1615 दि0 29.9.03 एवं विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निम्न के विद्युतिकरण हेतु प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है–

क्रम सं0	स्थान का नाम	अपार्टमेन्ट	भार (कि0वा0)	टिप्पणी
1	प्लाट खसरा नं0:–1131,1133 1139, 1143 व 1144, एन0एच0–58, नूर नगर, गाजियाबाद मै0 एस0वी0पी0 बिल्डर्स इण्डिया लि0,	आवासीय / वाणिज्यक	9000कि0वा0 (नौ हजार किलोवाट)	33 के0वी0 विभव पर आपूर्ति प्रदान की जायेगी
नोट–	1. उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति (प्रथम स्तर के भार को छोड़कर) विकासकर्ताओं द्वारा सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के उपरान्त ही की जायेगी ।			

उक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन होगी:–

1 कार्य कराते समय उक्त वर्णित संदर्भों में दिये गये प्राविधानों का पालन अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें।

2 बहुतलीय भवन / संकलों में सभी ऊर्जा मापक (एनर्जी मीटर्स)भूतल अथवा अधोतल पर लगाये जायेंगे। मीटर लगाने के लि बिल्डर द्वारा पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। ऊर्जीकरण के उपरान्त ऊर्जा मापक तक का वितरण तंत्र परिषद निगम की सम्पत्ति हो जायेगा तथा इसके अनुरक्षण का दायित्व भी निगम का होगा। मीटर के बाद के तंत्र का अनुरक्षण का दायित सम्बन्धित उपभोक्ता का होगा।

अ– यदि बहुखण्डीय इमारत केवल आवासीय कार्य के लिये हो तो ऐसी इमारतों में एक बिन्दु संयोजन देना श्रेयस्कर होगा।

ब– यदि बहुखण्डीय इमारत में केवल वाणिज्यिक कार्य ही होने हैं तो ऐसी इमारतों के लिये भी एक बिन्दु संयोजन देना श्रेयस्क होगा।

स– यदि बहुखण्डीय इमारत में आवासीय एवं वाणिज्यिक दोनों ही कार्य होने है तो वहा पर प्रत्येक उपभोक्ता को उसक आवश्यकतानुसार संयोजन दिया जाये।

द– समस्त बहुखण्डीय इमारतों में स्थापित सभी परिवर्तकों पर उपभोक्ता के व्यय पर मीटर्स स्थापित किये जायें जिससे कि ऊर का मापन हो सके तथा एनर्जी ऑडिट किया जा सके। अधिक लाइन हानियों / विद्युत चोरी पाये जाने पर क्षेत्र के संबंधित अधिशा अभियन्ता उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

3 प्रत्येक भावी उपभोक्ता से विद्युत कनैक्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग शुल्क, परिषद / नि समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार सर्विस कनैक्शन चार्जेज, सिस्टम लोडिंग चार्जेज एवं सिक्योरिटी एवं अन्य चार्जेज होंगे। नये संयोजन निर्गत होने के समय परिषद / निगम द्वारा निर्धारित समस्त औपचारिकता पूर्ण करना आवश्यक होगा।

4 प्रभावित 400 / 220 / 132 केवी उप–संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।

5 विद्युत प्रणाली ओवरलोडेड होने की स्थिति में इकाई की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की सम्भावना हो सकती है तथा आवश्यकतानुसार शेडयूल्ड तथा आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।

6 उपनगरी / बहुखण्डीय भवन के लिये स्वीकृत कुल विद्युत भार से अधिक भार के संयोजन निर्गत नहीं किये जायेंगे।स्वीकृत विद्युत भार की सीमा से अधिक विद्युत भार की आवश्यकता होने पर विद्युत प्रणाली के सुदृढीकरण के कार्य की लागत विकासक अथवा भवन की को–ऑपरेटिव द्वारा वहन की जायेगी।

7 उपनगरीयों / भवन संकलों में कॉमन फेसेलिटीज हेतु प्रथक विद्युत कनैक्शन विकासकर्ता / को–ऑपरेटिव सोसायटी, रेजीडेन एसोसियेसन्स / इण्डीविजुअल आदि को प्रचलित नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

8. खण्ड का दायित्व होगा कि विद्युतिकरण से पूर्व, कारपोरेशन के उक्त वर्णित आदेशों के प्राविधानों के तहत विकासकर्ता खर्चे पर लाइन / उपकरणों का सुदृढीकरण सुनिश्चित करेगें।

ATTESTED
31/5/13
R.K. Sampson
Notary Ghaziabad

9 निर्माण कार्य के लिये वांछित विद्युत भार हेतु विकासकर्ता अस्थायी संयोजन के लिये प्रथक आवेदन करेगा।यह अ संयोजन निर्माण की प्रस्तावित अवधि अथवा प्रथम चरण में अधिकतम दो वर्ष के लिये स्वीकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य में समय लगने की स्थिति में उस समय रहते अवधि में विस्तार हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा। अस्थायी संयोजन को किसी भी द स्थायी नहीं किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि संयोजन समस्त औपचारिकताए पूर्ण होने के बाद ही ऊर्जीकृत किया जा तथा इसकी पुष्टि इस कार्यालय को की जायेगी। उपमहाप्रबन्ध तदोपरान्त प्रति माह एनर्जी ऑडिट का अनुश्रवण करने/अधिक हानियां/विद्युत चोरी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर इस कार्यालय को अनुशासन कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे।

11. यदि उपभोक्ता द्वारा स्वीकृत ड्राइंग से अधिक निर्माण कार्य कराया गया है, तो अधिक निर्माण के लिये उपभोक्ता उत्तरदायी होगा, भविष्य में यदि उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही आवास विकास/विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा की जाती है, उ उत्तरदायित्व विद्युत वितरण निगम पर नही होगा।

12 विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रस्तर 4.28 में निहित प्राविधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें।

13 प्रस्तावित परिवर्तक उपभोक्ता के परिसर में ही लगाये जायेंगे।

ए0 पी0 मिश्रा
मुख्य अभियन्ता(वितरण)

पत्रांकः 8-22 /मु0अ0गा0क्षे0/वा0/प्रशा0अनु0/तद्दिनांकः 21/8/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल गाजियाबाद को उनके पत्रांक 6673 दिनांक 18.10.10 के संदर्भ में।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड– तृतीय, गाजियाबाद।(अनुमोदित मानचित्र सहित)

3 उपभोक्ता।

संलग्नः अनुमोदित मानचित्र

(अनिल मित्तल)
अधिशासी अभियन्ता(अधि0)
कृते मुख्य अभियन्ता